राजस्थान विश्वविद्यालय,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302004

क्रमांकः परीक्षा-III/यू.एम./2023/ **दिनांकः**

समस्त प्राचार्य/केन्द्राधीक्षक,
विश्वविद्यालय संघटक/सम्बद्ध महाविद्यालय,
राजस्थान विश्वविद्यालय,
जयपुर।

आवश्यक दिशा–निर्देश

महोदय/महोदया,

विश्वविद्यालय की मुख्य परीक्षाएँ दिनांक 16.03.2023 से प्रारम्भ हो रही हैं। अतः परीक्षा केन्द्रों पर निम्नलिखित दिशा–निर्देशों की पालना आवश्यक रूप से करें:–

1. पूर्व की भांति परीक्षा–2023 के प्रश्न–पत्रों के पैकेट खोलने की वीडियोग्राफी महाविद्यालय द्वारा आवश्यक रूप से करवाकर वीडियोग्राफी की कैसेट्स/रिकॉर्ड महाविद्यालय में सुरक्षित रखें, जिसे आवश्यकतानुसार विश्वविद्यालय द्वारा मंगवाई जा सकती हैं। वीडियोग्राफी की कैसेट्स/रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं कराने पर महाविद्यालय के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जायेगी।
2. आपके परीक्षा केन्द्र पर विश्वविद्यालय द्वारा पर्यवेक्षक नियुक्त किया जाता है तो प्रश्न–पत्रों के पैकेटों को पर्यवेक्षक की देख–रेख में उनके हस्ताक्षर करवाकर ही खोलें, साथ ही इस संबंध में पत्र क्रमांक परीक्षा-III/यू.एम./2022/1896 दिनांक 04.05.2022 की पालना भी सुनिश्चित करें।
3. परीक्षा केन्द्र में स्थित परीक्षा कक्षों एवं परीक्षा स्ट्रोंग रूम में सी.सी.टी.वी. कैमरा लगाना आवश्यक है एवं आयोजित प्रश्न–पत्र तिथि से 30 दिवस की वीडियों रिकॉर्डिंग/फुटेज अनिवार्य रूप से सुरक्षित रखें तथा विश्वविद्यालय द्वारा मांगे जाने पर उपलब्ध करावें।
4. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों की सघन तलाशी एवं जांचकर ही परीक्षा कक्ष में प्रवेश की अनुमति प्रदान करें।
5. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थियों को मोबाईल व अन्य डिवाइस के साथ प्रवेश न दिया जावे।
6. परीक्षा के दिनों में केन्द्र परिसर में केन्द्राधीक्षक/प्राचार्य के अतिरिक्त किसी भी कर्मचारी/वीक्षक के पास मोबाईल फोन अथवा अन्य डिवाइस रखने की अनुमति नहीं होगी।

परीक्षा की संवेदनशीलता एवं गम्भीरता को मद्देनजर रखते हुए उपरोक्त सभी बिन्दुओं का सावधानी पूर्वक पालन करें, अन्यथा आपके परीक्षा केन्द्र के विरूद्ध सख्त कार्यवाही की जावेगी।

भवदीय,

–sd–

(डॉ. राकेश राव)
परीक्षा नियंत्रक

क्रमांकः परीक्षा-III/यू.एम./2023/733-833 **दिनांकः** 14/03/2023

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, कुलपति/कुलसचिव/परीक्षा नियंत्रक, रा.वि.वि., जयपुर।
2. उप कुलसचिव (तलघर–प्रथम)/परीक्षा विविध, रा.वि.वि., जयपुर।
3. निदेशक, इन्फोनेट सेन्टर, रा.वि.वि., जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर प्रसारित करने का श्रम करें।
4. सम्बन्धित कम्प्यूटर फर्म को प्रेषित कर लेख है कि उक्त दिशा–निर्देश परीक्षा केन्द्र के पोर्टल एवं ई–मेल आईडी पर भी भिजवाये।

14.3.2023

(डॉ. कुलदीप मिश्रा)
उप कुलसचिव